[redacted]

KLRD/55/2018
13/06/2018

झारखण्ड सरकार

<u>राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग</u>

संचिका संख्या–02/भू0अ0परि0निदे0 (लगान/Rent)–54/2017....................../नि0रा0, राँची, दिनांक–

<u>राज्यादेश</u>

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो0–डोरण्डा, राँची।

विषयः– मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–05.06.2018 के मद सं0–11 में लिये गये निर्णय के संदर्भ में झारखण्ड राज्य के अधीन भूमि का लगान (Rent) जो पूर्व में निर्धारित रूपये, पैसे में किया गया है, को वर्तमान में ऑनलाईन लगान (Rent) वसूली में उत्पन्न कठिनाई के मद्देनजर पूर्णांक (Round figure) में लगान निर्धारण एवं वसूली की स्वीकृति।

आदेशः– **स्वीकृत।**

सम्प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–5323/LR, दिनांक–16.07.1965 तथा पत्रांक–697/रा0, दिनांक–31.01.1970 में निहित निर्देश के आलोक में भू–राजस्व एवं लगान का निर्धारण सर्वे एवं बन्दोबस्त कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

वर्तमान में झारखण्ड राज्य के अधीन सभी अंचलों में भू–लगान (Rent) की वसूली ऑनलाईन की जा रही है। पूर्व से निर्धारित लगान (Rent) रूपये, पैसे में है, जिसके कारण ऑनलाईन लगान भुगतान में कठिनाईयाँ आ रही हैं। उक्त कठिनाईयों को दूर करने हेतु एक रूपया से कम पैसे में निर्धारित लगान राशि को रूपये के पूर्णांक (Round figure) में परिवर्त्तित कर लगान निर्धारण किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

पूर्व में खतियान में निर्धारित लगान के आधार पर संधारित पंजी–II में रूपये/रूपये के अंश में लगान की प्रविष्टि है। ऑनलाईन लगान वसूली के वक्त पैसे में अंकित लगान को रूपये में Round up कर वसूली करना अपेक्षित है। जहाँ नया सर्वे हो रहा है उन बन्दोबस्त कार्यालयों द्वारा लगान निर्धारण के समय पैसे में निर्धारित (एक रूपये से कम) राशि को लगान के रूप में रूपये के पूर्णांक (Round Figure) में निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक–05.06.2018 को मंत्रिपरिषद् के बैठक की मद सं0–11 में लिये गये निर्णय के अंतर्गत पूर्व में निर्धारित लगान (Rent) जिसपर जमाबंदी संधारित है, के भुगतान हेतु एक रूपया से कम के अंश राशि को एक रूपया के पूर्णांक (Round figure) में ऑनलाईन राजस्व वसूली करने की स्वीकृति प्रदत्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–02/भू0अ0परि0निदे0 (लगान/Rent)–54/2017....................../नि0रा0, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः– झारखण्ड राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–02/भू0अ0परि0निदे0 (लगान/Rent)–54/2017....305....../नि0रा0, राँची, दिनांक–13-6-18

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/6/18
सरकार के सचिव।

D:\Nideshalaya 1\Rajyadesh.docx (Sweta)